Impact Factor (SJIF): 4.714 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 21/December/2022 IJRAW: 2023; 2(1):183-188 Accepted: 27/January/2023

वाल्मीकि जाति की वर्तमान समय में बदलती सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति के स्वरुप का सामाजिक अध्ययनः ब्लाक बाबल के संदर्भ में

[*1]Deepak Kumar

[*1]Ph.D. Student, Department of Sociology, School of Social Sciences, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, India.

सारांश

वाल्मीकि जाति के व्यक्ति भारतीय समाज के जातिय सामाजिक संस्तरण में जो की सवसे निचले पायेदान पर आती है वह है अनुसूचित वर्ग के अंतर्गत आने वाली वाल्मीकि जाति, जिसे हम अलग अलग स्थानों पर अलग नामों से जानते हैं, जैस–वाल्मीकि, मेहतर, भंगी, चूहड़ा, हरिजन, लालबेगी, छुआरा, नीरा, हाडी, पाकी, थोटटी, इत्यादि शामिल हैं, और आजकल इन्हें स्वीपर भी कहा जाता। किन्तु ग्रामीण क्षत्रों में इनको जमादार, भंगी, मेहतर, चूहड़ा, आदि और शहरी क्षत्रों में अधिकांशत भंगी और चूहड़ा, आदि जातिगत नामों से इनको जाना और पहचाना जाता है। सर पर मैला ढोने या हाथ से मैला सफाई (मैनुअल स्केवेंजिंग) के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कार्य ऐसे हैं, जिन्हें इस जाति के कार्यों से जोड़कर देखा जा सकता है। इन कार्यों में सम्मिलित हैं जैसे कि दृ ओपन ड्रेन एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई का काम, रेलवे ट्रेकों पर बिखरे मल दृ मूत्र को साफ करना, सीवर आदि की सफाई करना, विष्ठा (मल) उठाना, घरों, दफ्तरों, नालियों, सड़कों और अस्पतालों की गन्दगी की सफाई भी अधिकांशत भंगी जाति के लोगों के द्वारा ही की जाती है। इस जाति के लोगों के लिए लिए समाज में अलिखित रूप से यह माना जाता है, उपरोक्त कार्य एवम् श्मशान में शवों को दफन करना, अपराधियों को फांसी पर लटकाना, रात में चोरों को पकड़ना, यह सभी इसी जाति में जन्मे लोगों के कार्य हैं। भारत देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा से जुड़े सरकारी आंकडें यह बताते हैं कि मौजूदा समय में तकरीबन डेढ़ लाख लोग देश में इस कार्य को एक पेशे के रूप में कर रहे हैं। इस कार्य में महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। हालांकि देश के कुछ राज्य इससे मुक्त हो चुके ह, (ऐसा सरकारी दावा है) लेकिन गैर दृ सरकारी अनोपचारिक आंकड़ो के अनुसार देश में करीब दस लाख लोग प्रत्यक्ष दृ अप्रत्यक्ष रूप से मैला ढोने की प्रथा से जुड़े हैं, जिसका विशलेषण करने का प्रयास है।

मूल शब्दः बाल्मिकियों की उत्पत्ति, संस्कृतिकरण, अस्पृश्यकरण, भंगीकरण (असंस्कृतिकरण), बाल्मीकि जातिय आधारित संगठन

प्रस्तावना

हरियाणा राज्य में अनुसूचित जातियों की संरचना

प्रस्तुत अध्ययन हरियाणा राज्य के जिला रेवाड़ी ब्लाक बाबल में किया गया है, हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या 25351462 है जो की भारत की कुल जनसंख्या का 2.09 प्रतिशत है, राज्य की ग्रामीण जनसंख्या 16509359 तथा शहरी जनसंख्या 8842103 है, जो की भारत की कुल आबादी का 1.36 प्रतिशत तथा 0.73 प्रतिशत है, राज्य में कुल पुरुषों की जनसंख्या 13494734, तथा महिलाओं की 11856728 जनसंख्या है, जो हरियाणा की कुल जनसंख्या का 53.23 तथा 46.77 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य में कुल 37 अनुसूचित जातियां निवास करती हैं जिनकी कुल जनसंख्या 5113615 है जो की हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का 20.17 प्रतिशत है, अनुसूचित जातियोँ की ग्रामीण जनसंख्या 3720109 और शहरी जनसंख्या 1393506 है, जो की हरियाणा की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 14.67 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 15.76 प्रतिशत है। राज्य में कुल अनुसूचित जाति के पुरुषों की संख्या 2709656, तथा महिलाओं की 2403959 जनसंख्या है, जो हरियाणा की कुल जनसंख्या का 52.99 प्रतिशत तथा 47.01 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियोँ के ग्रामीण पुरुषों जनसंख्या 1973294 और महिलाओं की जनसंख्या 1746815 है, जो की हरियाणा राज्य की कुल अनुसूचित ग्रामीण जातियों का 53.04 प्रतिशत और 46.96 है [1]। अनुसूचित जातियोँ के शहरी पुरुषों की जनसंख्या 736362 और महिलाओं की जनसंख्या 657144 है, जो की हरियाणा राज्य की कुल अनुसूचित ग्रामीण जातियों का 52.84 प्रतिशत और 47.16 है।

हरियाणा राज्य की कुल 37 अनुसूचित जातियोँ में से बाल्मीकि, 'भंगी', चूहड़ा भी एक अनुसूचित जाति है, जिनकी (बाल्मिकीध्चुडाध्भंगीयोँ) राज्य हरियाणा में कुल जनसंख्या 938001 है जो की राज्य की कुल जनसंख्या का 3.70 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की संख्या 492516 तथा महिलाओं की जनसंख्या 445485 जो की हरियाणा राज्य की कुल बाल्मिकीध्चुडाध्भंगीयोँ जनसंख्या का 1.94 प्रतिशत तथा 1.76 प्रतिशत है। इसी के साथ राज्य में बाल्मिकीध्चुडाध्भंगीयोँ की ग्रामीण आबादी 643308 है जो की हरियाणा राज्य की कुल ग्रामीण आबादी का 3.90 प्रतिशत है [2], जिसमें ग्रामीण पुरुषों की संख्या 338839 तथा महिलाओं की संख्या 304469 है जो की कुल (बाल्मिकीध्चुडाध्भंगीयोँ) जनसँख्या का 52. 67 प्रतिशत तथा 47.33 प्रतिशत है।

***Corresponding Author:** Deepak Kumar

इसी के साथ राज्य में शहरी जनसंख्या का 15.76 प्रतिशत है। राज्य में कुल अनुसूचित जाति के पुरुषों की संख्या 2709656, तथा महिलाओं की 2403959 जनसंख्या है, जो हरियाणा की कुल जनसंख्या का 52.99 प्रतिशत तथा 47.01 प्रतिशत है [3]।

वाल्मीकि जाति के व्यक्ति भारतीय समाज के जातिय सामाजिक संस्तरण में जो की सवसे निचले पायेदान पर आती है वह है अनुसूचित वर्ग के अंतर्गत आने वाली वाल्मीकि जाति, जिसे हम अलग अलग स्थानों पर अलग नामों से जानते हैं, जैसे – वाल्मीकि, मेहतर, भंगी, चूहड़ा, हरिजन, लालबेगी, छुआरा, नीरा, हाडी, पाकी, थोटटी, इत्यादि शामिल हैं, और आजकल इन्हें स्वीपर भी कहा जाता। किन्तु ग्रामीण क्षत्रों में इनको जमादार, भंगी, मेहतर, चूहड़ा, आदि और शहरी क्षत्रों में अधिकांशत भंगी और चूहड़ा, आदि जातिगत नामों से इनको जाना और पहचाना जाता है। सर पर मैला ढोने या हाथ से मैला सफाई (मैनुअल स्केवेंजिंग) के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कार्य ऐसे हैं, जिन्हें इस जाति के कार्यों से जोड़कर देखा जा सकता है। इन कार्यों में सम्मिलित हैं जैसे कि दृ ओपन ड्रेन एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई का काम, रेलवे ट्रेकों पर बिखरे मल दृ मूत्र को साफ करना, सीवर आदि की सफाई करना, विष्ठा (मल) उठाना, घरों, दफ्तरों, नालियों, सड़कों और अस्पतालों की गन्दगी की सफाई भी अधिकांशत भंगी जाति के लोगों के द्वारा ही की जाती है। इस जाति के लोगों के लिए लिए समाज में अलिखित रूप से यह माना जाता है, उपरोक्त कार्य एवम् श्मशान में शवों को दफन करना, अपराधियों को फांसी पर लटकाना, रात में चोरों को पकड़ना, यह सभी इसी जाति में जन्मे लोगों के कार्य हैं। भारत देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा से जुड़े सरकारी आंकडें यह बताते हैं कि मौजूदा समय में तकरीबन डेढ़ लाख लोग देश में इस कार्य को एक पेशे के रूप में कर रहे हैं। इस कार्य में महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। हालांकि देश के कुछ राज्य इस से मुक्त हो चुके हैं [4], (ऐसा सरकारी दावा है) लेकिन गैर दृ सरकारी अनोपचारिक आंकड़ो के अनुसार देश में करीब दस लाख लोग प्रत्यक्ष दृ अप्रत्यक्ष रूप से मैला ढोने की प्रथा से जुड़े हैं। देश के दस राज्यों में अब भी यह प्रथा आस्तिव में है। सर्वाधिक गंभीर स्थिति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या सवसे ज्यादा है वहीं "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" के आंकड़ो के अनुसार मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज भी इस प्रथा की व्यापकता देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उत्तराखण्ड, एवं राजस्थान देश के वे राज्य हैं, जहाँ अभी इस प्रथा का वजूद कायम है, और यह कार्य इसी जाति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है [5]।

बाल्मिकियों की उत्पत्ति

भारतीय समाज में गंदगी हटाने वाले व्यक्तियों और शौचालयों की सफाई करने वाले व्यक्तियों की एक जाति को सामाजिक व्यवस्था में एक सुपरिभाषित समूह से संबंधित मानी जाती है। भारत में ऐसे सभी श्रमिकों को आज सामान्यतरू "द भंगी" [6] के नाम से जाना जाता है। इस व्यावसायिक समूह के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में उपयोग में आने वाले विभिन्न नाम और उपाधियाँ हैं, किन्तु सबसे प्रमूख रूप से इनको "द भंगी" शब्द से जाना जाता है। इसी के साथ इनको दक्षिण भारत में 'हेला' कहा जाता है जिसका अर्थ होता है 'रोना', इन व्यक्तियों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें सड़कों पर चलते समय अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए रोना पड़ता था। इसी के साथ अन्य सिद्धांत के अनुसार यह हिलना शब्द से लिया गया है, जिसका सामान्यतया अर्थ होता है 'पालतू होना'य और इसी का दूसरा अर्थ व्युत्पत्ति का स्रोत हेला से है जिसका अर्थ होता है टोकरी भार या हेल या हिल जिसका अर्थ है गंदगी मिट्टी [7]।

इसी के साथ गुजराती राज्य में इनको हलालखोर नाम से जाना जाता है अर्थात जो जायज खाना खाता है, जिसकी कमाई को समाज में जायज माना जाता है। यह मान्यता है की इस प्रकार की व्यंजनापूर्ण शीर्षक सम्राट अकबर द्वारा पेश किया गया था। फारसी शब्द 'खाक' से 'खाक्रोब' बना है, 'खाक्रोब' का अर्थ होता है धरती और 'रोब' का अर्थ होता है झाड़ू लगाना। राज्य पंजाब में भी कुछ इसी प्रकार की सामाजिक मान्यताएं देखने को मिलती हैं, यहाँ पर समाज में भंगियों को 'चूलिरा' के नाम से सामाजिक मान्यता प्राप्त है और यह नाम उनके द्वारा चूरा–हरना (कूड़ा–हरना) को चुनने और झाड़ने के काम से सम्बंधित माना जाता है। इसी प्रकार बंबई शहर में इनको हरि 'भंगी' के नाम से ही जाना जाता है। यह मान्यताएं हैं की यह बंगाली नाम 'हरि' हड्डी–हड्डी से आया है [8]। हरि अस्थि संग्राहक थे और यह कलकत्ता के शुरुआती निवासियों को हैरी–वेन्च के विचित्र पदनाम के तहत परिचित थे। राजस्थान राज्य में इन व्यक्तियों को मेहतर नाम से संबोधित किया जाता है और इस नाम को फारसी मेहतर–राजकुमार से सम्बंधित बताया जाता है, यह कहा जाता है कि इनको उपहास के रूप में यह नाम दिया जाया है।

इसी के साथ यह भी माना जाता है कि भंगियों ने अपनी जाति के नाम के आगे तृप्तिकारक उपनाम लगा लिए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के भंगी स्वयं को 'वाल्मीकि' कहते हैं जो कि वाल्मीकि ऋषि के अनुयायी माने जाते हैं, उनका मानना है की वह पहले संस्कृत कवि और रामायण के प्रसिद्ध लेखक हैं। हालाँकि इस जाति को अलग–अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, किन्तु अधिकांश राज्यों में सफाई समुदाय की परंपराओं और किंवदंतियों का एक ही भंडार था। भंगी शीर्षक समाज में सामान्यतया सभी स्थानों पर कार्यरत है, इसलिए इसे जाति के पदनाम के रूप में लिया जाता है।

इसी के साथ श्यामलाल ने जब भंगी परिवारों का अध्ययन किया किया तो वह अपने अध्ययन में जोधपुर के भंगियों के विवाह पद्धति और धर्म मान्यता, शिक्षा का अनुपात, विकास की दर आदि का विश्लेषण करते हैं। लेखक जोधपुर शहर की भंगी जातियों के सदस्यों में होने वाले संस्कृतिकरण और सामाजिक परिवर्तनों की भी समीक्षा करते हैं। जाति और गतिशीलता, पश्चिम राजस्थान के भंगियों में मृत्यु संस्कार शुद्धता और रीति रिवाज का अध्ययन यह अपने अध्ययन में करते है, इसी के साथ भंगियों में आने वाली सामाजिक और राजनीतिक जागृति और इनके द्वारा किये गए आंदोलनों का विशलेषण भी अपने अध्ययन में किया गया है। जोधपुर जिले में भंगियों के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि इन कल्याण योजनाओं का लाभ किन लोगो को मिलता है [9] और किन लोगों को नहीं मिलता है और जो व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते है उनका जीवन कैसा चल रहा है और जो लेते है उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है।

हट्टन Hutton (1967) के अनुसार इन जातियाँ (अनुसूचित जातियों) के सदस्यों की दशा आज भी समाज में निम्नतम दर्जे की [10] है और समाज में सबसे घृणित कार्य यही भंगी कहलाने वाली जाति के लोगों द्वारा किये जाते हैं। आजादी के बाद भी इन्हें अछूत से छूत बनाने के लिये सरकारों की ओर से कई रचनात्मक कदम उठाये गए, किन्तु फिर भी इसका अंत नहीं हुआ। अलबत्ता शुरुआत में तो नगर निगमों, नगरपालिकाओं और सभी स्थानीय निकायों में घरों, दफ्तरों, नालियों, सड़कों और अस्पतालों की गन्दगी की सफाई के लिये इन्हीं लोगों को सरकार द्वारा नियोजित किया जाने लगा। ये कहा जाये तो अनुचित नहीं होगा कि इन सभी घृणित समझे जाने वाले सफाई कार्यों में शतप्रतिशत इसी जाति के लोगों को नियुक्तियॉ दी जाने लगी। किन्तु हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना और आरक्षित वर्ग के लिये जरुरी सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नही रख सकते हैं, अथवा कानून की सुरक्षा सभी को समान रूप से उपलब्ध होगी। अनुच्छेद 14 और 15 में समानता की अवधारणा का प्रवर्तन इस ढंग से है कि यह

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की परिस्थितियों से निश्चित रूप से सम्बन्धित है। जिसके अनुसार राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिगं जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नही करेगा। कोई भी किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिगं, जन्म स्थान के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नही करेगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्तराओं, होटलो तथा सार्वजनिक स्थलों पर जैसे–कुओं, तलाबों, स्नानघाटों, सार्वजनिक होटलों जिनका उपयोग सार्वजनिक प्रयोग के लिए समर्पित है पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधान बनाने से कोई वर्जित नही कर सकेगा [11]।

जाति आधारित सामाजिक ढाँचे में अस्पृष्यों पर थोपे गए सभी श्रम के रूपों में सिर पर मैला ढोना अत्यन्त अनादरपूर्ण कृत्य है। भारतीय समुदायों के जो सदस्य सिर पर मैला ढोने के कार्य में नियुक्त हैं उन्हें सार्वजनिक एवं निजी शौचालयों में झाड़ू, टीन के पतरे (टुकडे) का प्रयोग कर मैला साफ करना पडता है, तथा जहाँ कूड़े के ढेर लगाए जाते हैं ऐसे भू–भागों तक ढोकर ले जाना होता है [12]। जो निजी स्थापना तथा घरों में कार्यरत हैं उन्हें अल्प मजदूरी दी जाती है। शहरों में, सफाई मजदूरों को गंदे नालों को खोलने के लिए नीचे उतारा जाता है, बिना किसी सुरक्षा परिधानों के वे इन्सानी मल में पूरी तरह डूब जाते हैं। उनमें से कई कार्बन मोनोक्साइड गैस व् अन्य ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के जहर से मर भी जाते हैं।

सिर पर मैला ढोने के रोजगार तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अन्तर्गत सिर पर मैला ढोने की प्रथा को निषेध कर दिया गया है। यह अधिनियम प्रतिबन्धित करता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य को सिर पर मैला ढोने के लिए न तो नियुक्त कर सकता है, तथा न ही शुष्क शौचालय बना सकता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को यह भी अधिकार प्रदान करता है कि वे एक या एक से अधिक योजनाओं को शुष्क शौचालयों से जल बाधित शौचालयों में परिवर्तित करें तथा जो व्यक्ति सिर पर मैला ढोने का कार्य संलिप्त एवं नियुक्त हैं, उनके पुर्नवास विनियमित करें। इस अधिनियम में यह भी अधिदेश है कि राज्य सरकारें निर्धारित समय में थोडा–थोडा करके शुष्क शौचालयों को जल से बाधित शौचालयों में परिवर्तित करके, कम खर्चीले वैकल्पिक सफाई साधनों के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एंव रख – रखाव, सिर पर मैला ढोने वाले सफाई मजदूरों के पंजीकरण तथा उनके पुर्नवास का प्रावधान बनाएं। इस अधिनियम के अनुसार इस कानून की अवहेलना एक दण्डनीय अपराध है जिसकी सजा, सावधि कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थदण्ड या दोनों ही हो सकते हैं [13]। किन्तु इसके भारतीय समाज में मौजूद इस प्रथा को समाप्त करने के लिए समय समय पर और भी विभिन्न संवेधानिक और वैधानिक प्रावधान किये जाते रहे हैं। जिनमे से कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्न प्रकार हैं–

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (The Protection of Civil Right Act), 1955.
- अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम (The SC/ST, Prevention of Atrocities Act), 1989
- सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शोचालय संनिर्माण प्रतिषेध अधिनियम (The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines; Prohibition, Act), 1993
- मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम (National Commission for Safai Karamcharis Act), 1993
- मैला ढूलाई के सम्पूर्ण उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय योजना (National Plan for Total Eradication of Manual Scavenging), 2007
- मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act), 2013
- मैला ढूलाईकर्ताओं के पुनर्वास हेतु स्वनियोजन योजना (Self Employment Scheme for Rehabilitation of MS–SEBRMS)
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC–Total Sanitation Campaign)
- मैला ढूलाईकर्ताओं की आजादी एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (NSLRS–National Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scheme–ILCS)
- एकीकृत अल्प लागत स्वच्छता योजना (Integrated Low cost Sanitation Scheme-ILCS)
- भुगतान कर शोचालय प्रयोग करने की योजना (Pay and Use to Toilet Scheme)
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (National Safai Karamchari Finance and Development Corporation – NISKFDC)
- स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission–2014-19) [14]

इसी के साथ बेजवाडा विल्सन दलित परिवार में जन्मे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, तथा इन्होंने दलितों की हालत में सुधार और मानव जीवन में गरिमा स्थापित करने के लिए आंदोलन शुरू किये। भारत के बेजवाडा विल्सन को रमन मैग्सेसे अवॉर्ड भी मिला हैं। बेजवाडा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि सफाई कर्मचारियों के हक आवाज को बुलंद करने तथा लोगों को एकजुट करने में इनको महारत हासिल है। इनका मानना है कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा भारत में मानवता पर धब्बा है और यह पूरी तरह बंद होनी चाहिए [15]। बेजवाडा के आंदोलन का ही नतीजा है, कि देश में मैला उठाने वाले छह लाख लोगों में से अब तक करीब तीन लाख को इस काम से मुक्त करा लिया गया है, किन्तु इसके बाद इनकी हालत में क्या सुधार आया है इस बात पर कोई जानकारी नहीं है।

तालिका 1: ज्य में वाल्मीकि व्यक्तियों की जनसँख्या और उनके उपनाम

क्रम संख्या	राज्य	जाति का नाम	2011 के सेंसस के अनुसार आबादी
1.	हरियाणा	वाल्मीकि, चुड़ा या भंगी, मजहबी	938001

श्रोतः भारत की जनगणना सारणी 2011.

एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 61.6 प्रतिशत सीवर सफाईकर्मी किसी न किसी बीमारी के शिकार पाए जाते हैं। वे सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द और स्वांस संबंधी दिक्कतों से अक्सर दो–चार रहते हैं। 15.6 प्रतिशत सफाईकर्मी त्वचा संबंधी बीमारियों के शिकार हैं, वहीं 10.4 प्रतिशत सफाईकर्मीयों टीबी और कैंसर जैसी महामारी से जूझ रहे है। 48.8 प्रतिशत सफाईकर्मचारियों का कहना था कि काम करने के लगभग 6 महीने के दौरान ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 63.2 प्रतिशत सफाईकर्मी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी जाते हैं, जबकि 35.2 प्रतिशत निजी अस्पतालों का सहारा लेते हैं, 70.8 प्रतिशत सफाईकर्मियों का कहना था कि उन्हें सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। उन्हें इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, पैसे नहीं होने पर उन्हें सूदखोरों की शरण में जाना पड़ता है, जिनके चंगुल में एक बार फंस जाने के बाद निकलना मुश्किल है, लेकिन कोई और विकल्प भी नहीं है, सफाईकर्मियों में कुछ तो काम के दौरान विभिन्न बीमारियों के शिकार हो गए, वहीं कुछ पहले से अस्वस्थ हैं [16]। ज्यादातर सफाईकर्मियों को टीकाकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार, सिर्फ 5 प्रतिशत लोग ही टीकाकरण के बारे में जानते हैं। प्रशिक्षण और सफाई उपकरणों का

अभाव है। ऐसी ही बहुत सी घतनाओं का सामना सफाई कर्मी कर रहे हैं जिनका अभी तक कोई भी निदान नहीं हो पाया है।

देश में 1.2 मिलियन सीवर सफाई कर्मचारी काम करते हैं, सदियों से उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि सीवर उनके लिए काफी खतरनाक होते हैं, विकसित देशों में सीवर सफाई कर्मी पूरी तरह ड्रेसअप होते हैं और मैनहोल साफ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। हांगकांग में सीवर सफाईकर्मियों को एक निश्चित समय के प्रशिक्षण के साथ–साथ 15 प्रकार के लाइसेंस–परमिट हासिल करने पड़ते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है [17]। स्वास्थ्य सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है।

नेशनल कैंपेन फार द डिग्नीटी एंड राइट्स आंफ सीवेज वर्कर्स के रिपोर्ट की माने तो करीब 37.2 प्रतिशत सीवर सफाईकर्मी पुनर्वास कांलोनियों, 27 प्रतिशत सीवर लाईन किराए के घरों, 11.3 प्रतिशत झुग्गी झोपड़ीयों और 13 प्रतिशत अनाधिकृत कांलोनियों में रहते हैं, मात्र 13 प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकारी मकानों में रहते हैं। करीब 70 प्रतिशत सफाई कर्मचारी अपने रिटारमेंट तक जीवित रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हेमलता कहती हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे सीवर सफाई का कार्य विभागीय नियमों के मुताबिक कराने के लिए सख्त कदम उठाएं। हेमलता बताती हैं कि उन्होंने इसके लिए सफाईकर्मियों के साथ धरने भी दिए, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भी गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। नंद नगरी की एक महिला ने पहले पति और बाद में अपने दो जवान बेटे खो दिए। सीवर ने जवानी में सुहाग उजाड़ा और बुढ़ापे में कोश, एक ही घर में तीन–तीन विधवाएं हैं। सीवर की सफाई करते समय जान गंवाने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है। अब तक सफाईकर्मीयों की बहुत मौतें अपने कार्य को करते हुए हो चुकी हैं और हो रही हैं, अर्थात यह कभी खत्म न होने वाला एक अंतहीन सिलसिला, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय नहीं कर रही है। ऐसे में सफाईकर्मियों के पास अपनी जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इन्हें इन काम करने के पुराने तरीकों के साथ ही जीना है।

संस्कृतिकरण

संस्कृतिकरण समाज निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके बड़े पैमाने पर शोध किया गया है। लाल श्याम (1995) ने अस्पृश्यकरण अथवा दलितकरण के विचार को सामने रखते हुए। संस्कृतिकरण की अवधारणा के विरोध में जहाँ निचली जातियाँ प्रमुख, उच्च जातियों के तौर तरीकों, आचार व्यवहार, रहन सहन, साज सज्जा आदि का अनुसरण करती हैं, लाल (1995) भारतीय समाज में नीचे की ओर गतिशीलता के विचार को प्रतिपादित करते हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की नीचे की गतिशीलता की प्रक्रिया में, उच्च जातियों के होने का दावा करने वाले समूह या व्यक्ति मूल समूह के साथ अपने जुड़ाव को तोड़ देते हैं। अछूत जातियों या निम्न जातियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे एक नई "निम्न जाति की पहचान" सामने आती है। भारत में सामाजिक शोधकर्ताओं द्वारा इस तरह की सामाजिक घटना का कम से कम अध्ययन या उपेक्षा की जाती है [18]। अस्पृश्यकरण की अवधारणा के विषय में लेखक लाल श्याम (1995) का मानना है कि भारतीय इतिहास में मुस्लिम युग की शुरुआत के बाद से, हिंदू धर्म से और जनजातियों में से विभिन्न जातियां अछूत जातियों में परिवर्तित हो गईं। अंग्रेजों के काल में देश में धर्मांतरण की गति तेज हुई। ऐसे उदाहरण समाज में पाए जाते हैं, जब कुछ सदियों पहले ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम आदि उच्च जातियों ने अछूत और अशुद्ध जातियों की प्रथाओं को अपना लिया था।

अस्पृश्यकरण

लाल श्याम (1995) का तर्क है कि भारतीय इतिहास में मुस्लिम युग की शुरुआत के बाद से, हिंदू से और जनजातियों से विभिन्न जातियां अछूत जातियों में परिवर्तित हो गईं। अंग्रेजों के काल में देश में धर्मांतरण की गति तेज हुई। ऐसे उदाहरण हैं जब कुछ सदियों पहले ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम आदि उच्च जातियों ने अछूत, अशुद्ध जातियों की प्रथाओं को अपना लिया था। वह जातियां उन अछूत जातियों में विलय हो गयी थी। सामाजिक–राजनीतिक और धार्मिक कारक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल आदि में इस तरह के धर्मांतरण का कारण हो सकते हैं। यह लाल श्याम (1995) द्वारा अग्रेषित अस्पृश्यकरण की प्रक्रिया है। डुबोइस, ओमाली, मीड, केतकर, फुच्स और अन्य ने अपनी रिपोर्ट और लेखन में ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है क्योंकि विद्वानों के लिए इस तरह की सामाजिक घटना से जुड़ना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, हालांकि, विभिन्न नृवंशविज्ञान संबंधी लेखों से विभिन्न जातियों के पतन की सूचना मिली है। इस तरह के लेखन और रिपोर्टों में गिरावट का मतलब उच्च जातियों को निचली जातियों में मिलाना। इस प्रक्रिया को समाज में निम्न जातियों में बाहरी लोगों के प्रवेश के रूप में जाना जाता था। लाल श्याम (1995) का मानना है कि, समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों की परिवार, रिश्तेदारी, जाति और धर्म का अध्ययन करने में गहरी रुचि हैय शायद ही कोई "अस्पृश्यीकरण" या "दलितीकरण" की प्रक्रिया में रुचि दिखाता है [19]। भारतीय सभ्यता के अध्ययन पर "अस्पृश्यकरण" का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है।जो भारतीय जनसंख्या की एकरूपता और विषमता पर गहरा प्रभाव छोड़ते हुए कई जातीय सांस्कृतिक समूहों के संलयन और प्रसार के एक लंबे इतिहास को शामिल करता है।

भंगीकरण (असंस्कृतिकरण)

भंगीकरन समाज में घटने वाली वह घटना है, जिसमें ऊंची जातियां खुद को भंगी जाति में परिवर्तित कर लेती हैं। समकालीन राजस्थान में 70 और 80 के दशक के शुरुआती दशकों में इस तरह की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। भंगी अशुद्ध जाति से संबंध रखते हैं जो छोटी–छोटी झोपड़ियों, कच्चे मकान बनाकर गांव बाहर एक किनारे पर निवास करते हैं। उनका तर्क है, बस्तियों में विशिष्ट पैटर्न गाँव के अंदर बहुत अधिक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वे सजातीय लगते हैं, किन्तु जब उच्च जाति का व्यक्ति भंगी जाति की सदस्यता स्वीकार करता है, तो वह पुरूषध्महिला उच्च जाति के सदस्य के रूप में उपलब्ध पिछली सामाजिक–अनुष्ठान स्थिति खो देता है [20]। भंगियों के रीति–रिवाज और जीवन शैली को अपनाया गया है। (लाल, श्याम 1995रू 86–87)।

अध्ययन का क्षेत्र (Area of Study)

शोध अध्ययन क्षेत्र जिला दृ रेवाड़ी, का ब्लॉक बावल है, ब्लॉक बावल का क्षेत्रफल 258 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 254.20 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है, तथा 3.60 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। ब्लॉक बावल के अंतर्गत की कुल जनसँख्या 1,30,050 है, जिसमें ग्रामीण जनसँख्या 1,13,274 है, तथा शहरी जनसँख्या 16,776 है। ब्लॉक बावल की कुल ग्रामीण जनसँख्या 1,13,274 है, जिसमें कुल ग्रामीण महिलाओं की जनसँख्या 53,394 तथा पुरुषों की जनसँख्या 59,878 है, इसी के साथ ब्लाक बावल की कुल शहरी जनसँख्या 16,776 है, जिसमें कुल शहरी महिलाओं की जनसँख्या 7,948 तथा पुरुषों की जनसँख्या 8,828 है [21]। ब्लॉक बावल के अंतर्गत 81 गाँव हैं, ब्लाक दृ बावल, जिला दृ रेवाड़ी, राज्य – हरियाणा के बहुजातिय गाँवों में मुख्य रूप से अहीर, जाट, ब्राह्मण, चमार, कोहली वाल्मीकि (भंगी), खाती, बनिया, राजपूत, खटीक, कुम्हार, नाई, माली (सैनी) आदि जातियों के सदस्य निवास करते हैं। अध्ययन के लिए चुने गए गाँव इब्राहिमपुर, राजगढ़, सुल्खा, धार चना, रायपुर, दुल्हेड़ा खुर्द, नंगल उग्रा, पटुहेरा, खिजुरी हैं, जो कि बहुजातिय गाँव हैं। इसी के साथ ब्लाक बावल के शहरी क्षेत्र की बाल्मिकी बस्ती को लिया गया है जो कि तीन गलियों में विभाजित हैं, जिसको वाल्मीकि बस्ती गली एक, वाल्मीकि बस्ती गली दो, वाल्मीकि बस्ती गली तीन से जाना जाता

है। इस प्रकार बाबल ब्लाक के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जहाँ बाल्मीकी जाति के सदस्य निवास करते हैं, सामाजिक अध्ययन के लिए चुना गया है। जिसमें गाँव इब्राहिमपुर, राजगढ़, सुल्खा, धार चना, रायपुर, दुल्हेड़ा खुर्द, नंगल उग्रा, पटुहेरा, खिजुरी हैं, जो कि बहुजातिय गाँव हैं। इसी के साथ ब्लाक बावल के शहरी क्षेत्र की बाल्मिकी बस्ती को लिया गया है जो कि तीन गलियों में विभाजित हैं, जिसको वाल्मीकि बस्ती गली एक, वाल्मीकि बस्ती गली दो, वाल्मीकि बस्ती गली तीन से जाना जाता है।

शोध कार्य पद्धति (Research Methodology)

सामाजिक अध्ययन के लिए चुने जाने वाले उपरोक्त ब्लाक बावल से यादृच्छिकता (randomly) तरीके से बहुजातिय गाँव चयनित किये गए हैं। अध्ययन के लिए प्राथमिक तथ्यों (Primary Data) को एकत्रित करने के लिए शोधार्थी ने ब्लॉक बावल के निवासियों के साथ रहकर सहभागी अवलोकन, साक्षत्कार अनुसूची तथा focus discussion, diary notes के द्वारा तथ्य एकत्रित किये गए हैं। अनुसन्धान कर्ता को एक साक्षत्कार अनुसूची भरने में आधे घंटे से एक घंटा तक का समय लगता था। इस प्रकार बाबल ब्लाक के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जहाँ बाल्मीकी जाति के सदस्य निवास करते हैं, सामाजिक अध्ययन के लिए चुना गया है।

बाल्मीकि के जाति आधारित संगठन

बाल्मीकियों में पाए जाने वाले जाति–आधारित संगठन के विभिन्न नाम। ये जाति–आधारित संगठन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ब्लॉग पेज, व्हाट्सएप और स्वायत्त वेबसाइटों के माध्यम से संचालित होते हैं। ऐसे संगठनों का मुख्य उद्देश्य समुदाय के सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना, शिक्षा, कानून और रोजगार क्षेत्र में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करना व आरक्षण में से अलग आरक्षण की मांग करना अपनी संख्या ऐ आधार के अनुसार। उनकी आत्म–पहचान के लिए संघर्ष करना है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पेज और दोनों जातियों के ब्लॉगिंग पेज अपने मूल इतिहास को फिर से लिखने, मुख्यधारा में समानता की मांग और समाज में अपनी सामाजिक स्थिति का सम्मान करने की उनकी खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ बाल्मिकी के जाति–आधारित संगठन हैं जो समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं–

1 बाल्मीकि यूथ ब्रिगेड,
2 महापंचायत अनुसूचित वर्ग ए
3 अखिल भारतीय समाज विकास परिषद्
4 भारतीय समाज निर्माण संघ
5 डॉ. बी. आर. आंबेडकर महानिर्वाण समिति
6 हरियाणा बाल्मिकी महासभा
7 हरियाणा बाल्मिकी युवा संगठन
8 ग्रामीण सफाई कर्मचारी
9 बाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघठन
10 हरियाणा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी

बाल्मीकियों के कुछ सोशल मीडिया पेज इस प्रकार हैंरू बाल्मीकि यूथ ब्रिगेड ऑफ इंडिया फेसबुक पेज, वाल्मीकि सेवा समाज फेसबुक पेज वाल्मीकि एकता समाज फेसबुक पेज, वाल्मीकि समाज रिश्ते फेसबुक पेज, बाल्मीकि समाज शिक्षित रिश्ते फेसबुक पेज, हरियाणा वाल्मीकि समाज। ये सोशल मीडिया पेज उनके इतिहास, उनके सामाजिक पिछड़ेपन और राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में पोस्ट करने में सक्रिय हैं।

बाल्मीकियों में जातिगत संगठनों की मौजूदगी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बाल्मीकियों के बीच जाति–आधारित संगठनों की भूमिका ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। नेतृत्व का उद्भव बाल्मीकियों के बीच बिखरा हुआ दिखाई देता है जिसे हरियाणा के कुछ जिलों यानी रोहतक, कुणिकक्षेत्र, सिरसा और भिवानी जिलों में देखा जा सकता है। बाल्मीकियों के युवा और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय प्रतीत होते हैं। यह मुख्य रूप से एमसीडी स्तर पर संघ के माध्यम से उनकी पिछली पीढ़ियों की राजनीतिक जागरूकता के कारण है। हालाँकि, बाल्मीकि महिलाएँ आधुनिक शिक्षा के माध्यम से गतिशीलता प्राप्त करने की आकांक्षा रखती हैं और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली शैक्षिक छात्रवृत्ति के लिए आशान्वित थीं।

बाल्मीकि जाति–आधारित संगठनों के सदस्यों को उन नियमों का पालन करना पड़ता है जहाँ सदस्यों को एक विशेष वर्ष में अपने संबंधित संगठन द्वारा आयोजित बैठकों में तीन बार उपस्थित होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपरोक्त सूचीबद्ध जाति–आधारित संगठनों में से किसी में भी स्वयं को नामांकित करना पर्याप्त नहीं है। कुछ जाति–आधारित संगठन बाल्मीकियों के नामांकन के लिए कुछ राशि भी लेते हैं।

हरियाणा राज्य में बाल्मीकियों की उत्पत्ति की एक ऐतिहासिक व्याख्या वर्तमान परिदृश्य में उनकी सामाजिक पहचान को समझने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है। उनके मुखर वर्तमान की जड़ें अपमानित अतीत में हैं। बाल्मीक अपने गौरवशाली अतीत को अपने अपमानित अतीत के लिए प्रभावशाली विचारधारा का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सार्थक तरीके से फिर से लिख रहे हैं

बाल्मीक अपने मूल्यों, रीति–रिवाजों, किंवदंतियों और परंपराओं को फिर से स्थापित करके अपनी पहचान फिर से खोज रहे हैं। बाल्मीकियों के लिए, जो सामाजिक स्तर पर जाटों के साथ अपने संबंध बनाए रखते हुए अपनी सामाजिक पहचान स्थापित करते हैंय बाल्मीक अपने मोहल्ले के स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। वे अपनी पहचान के लिए उस अर्थ में दावा करना चाहते हैं जहां वे उच्च और मध्यवर्ती जातियों से कम नहीं महसूस करते हैं बल्कि वे अपनी विशिष्टता के बारे में अलग महसूस करते हैं।

बाल्मीकियों ने यह जान लिया है कि श्संस्कृतीकरणश जैसी सामाजिक प्रक्रियाएँ जहाँ वे प्रमुख जातियों के रीति–रिवाजों और मान्यताओं का अनुकरण कर रहे थे और एक–दूसरे के साथ अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रख रहे थे, उनकी स्थिति में कोई भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वहीन प्रतीत होता है। वे अपनी विशिष्ट सामाजिक पहचान के लिए अपनी खोज को बनाए रखना चाहते हैं। सभी उत्तरदाताओं ने अपने धर्म के अनुसार हिन्दू होने का दावा किया। उनके विवाह समारोह अक्सर भक्तों (जाति के पुजारी) द्वारा उनकी अपनी जातियों से संबंधित होते हैं।

सभी बाल्मीकि जाति के नाम से अपनी पहचान कराते हैं और यहाँ तक कि अन्य जातियाँ भी उन्हें अपने जाति के नाम से पहचानती हैं। जीवित रहने के लिए ईंधन और चारा लाने में बाल्मीकि महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन परिवारों की पहली और दूसरी पीढ़ी की महिलाओं ने निवास के गांव में दाई के रूप में सेवा की और गोबर बनाने का काम किया। आधुनिक समय में, वे शिक्षण के विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं। चिकित्सा और कानून। उनमें से कुछ चूड़ियाँ बेचते हैं, कारखानों में काम करते हैं (कपड़े, पटाखे। पैकेजिंग), घर पर सिलाई के काम में लगे हुए हैं। बाल्मीकि महिलाएं नगरपालिकाओं के काम में लगी हुई हैं और अपने परिवारों को ईंधन और चारा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

निष्कर्ष

हरियाणा राज्य में बाल्मीकियों की उत्पत्ति की एक ऐतिहासिक व्याख्या वर्तमान परिदृश्य में उनकी सामाजिक पहचान को समझने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है। उनके मुखर वर्तमान की जड़ें अपमानित अतीत में हैं। बाल्मीक अपने गौरवशाली अतीत को अपने अपमानित अतीत के लिए प्रभावशाली विचारधारा का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सार्थक तरीके से फिर से लिख रहे हैं। बाल्मीक अपने मूल्यों, रीति–रिवाजों, किंवदंतियों और परंपराओं को फिर से स्थापित करके अपनी पहचान फिर से खोज रहे हैं। बाल्मीकियों के लिए, जो सामाजिक स्तर पर जाटों

के साथ अपने संबंध बनाए रखते हुए अपनी सामाजिक पहचान स्थापित करते हैंय बाल्मीक अपने मोहल्ले के स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। वे अपनी पहचान के लिए उस अर्थ में दावा करना चाहते हैं जहां वे उच्च और मध्यवर्ती जातियों से कम नहीं महसूस करते हैं बल्कि वे अपनी विशिष्टता के बारे में अलग महसूस करते हैं।

संदर्भ सूची

1. Cencus of India 2011
2. Ibid
3. Ibid
4. Lal Shyam. The Changing Bhangi of India: A Study of Caste Association, Sublime Publications, Jaipur, 1999.
5. शर्मा, जी. एल., सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015, p: 51.
6. Lal Shyam, Sanskritisation and Social change among the Bhangis in Jodhpur City: A Case Study, Indian Journal of Social Work, Volume – 34, No. 1, 1973.
7. Lal Shyam. The changing Bhangis of india, Sublime Publications, Jaipur, p: 1
8. Ibid
9. Ibid
10. Hutton J.H., Caste in India: Its Nature, Function and Origins, Oxford University Press, London, 1967, pp: 1-6. Available at: https://archive.org/details/dli.csl.6295/page/n1/mode/2up ?view=theater, Accessed on 14th June 2019.
11. Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007.* Available at: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf, Accessed on 14th June 2019.
12. The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993, Act No. 46 of 1993, 5th June 1993.
13. Ibid
14. शर्मा, जी. एल., सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015, pp: 53-54.
15. Available at: https://aajtak.intoday.in/story/know-about-ramon-magsaysay-award-winners-bezwada-wilson-and-tm-krishna-of-india-1-879981.html, accessed on 26th September 2018.
16. Ibid
17. Ibid
18. (लाल, श्याम1995: 86)। लाल श्याम (1995) दो शब्दों के साथ आता है, जैसे कि भंगीकरण और अस्पृश्यकरण
19. Lal Shyam. The Changing Bhangi of India: A Study of Caste Association, Sublime Publications, Jaipur, 1999.
20. Ibid
21. Awailable at: https://villageinfo.in/haryana/rewari/bawal.html, Accessed on 16th September, 2018.